न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर॰ए॰एस॰)

मुकदमा नम्बर 72 / 2022 दायर दिनांक–25.04.2022

1 मूंगाराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी टोंक ढाका की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू राज.।

वादी

बनाम

1 भूमिधारक जरिये तहसीलदार, नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.

प्रतिवादीगण

दावा:– घोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:09:39 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :
1. श्री सज्जन कुमार चाहर, अधिवक्ता वादी
2. श्री राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता प्रतिवादी

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

–निर्णय–

दिनांकः–04.12.2024

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने घोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम टौंकछिलरी पटवार हल्का टोंकछिलरी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर पुराना 296/519 रकबा 1.00 है0 जिसके नया खसरा नम्बर 1049 रकबा 1.00 है0 स्थित है। उक्त भूमि पर वादी शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के कब्जा व काश्त करता आ रहा है लगान भी वादी ही अदा करता आ रहा है। वादी इस जमीन को अपनी पीढ़ियों से कातश करता आ रहा है व काबिज है। वादी के अलावा अन्य किसी का इस जमीन से कभी भी कोई ालुक नही रहा है। इस जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में गलती से और सहवन से तथाकथित रूप से राजस्व कर्मचारियों की गलती से वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही हुआ। इस तरह से वादी निर्विवाद रूप से इस जमीन का टेनेन्ट है तथा कदीम से कब्ज काश्त के आधार पर खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव मे आया इससे पहले से वादी के पूर्वज इस जमीन पर काबिज थे जो आज दिन तक लगातार काबिज चले आ रहे है। कानूनन इस जमीन का राजस्व रिकॉर्ड वादी के पिता और दादा का नाम काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ तब हो जाना चाहिए था। खसरा गिरदावरी संवत 2012 से 2015 तक तो वादी का नाम दर्ज चला था परन्तु राजस्व कर्मचारियों की भूल के कारण राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी में चक खेतड़ी के नाम से ही सम्वत 2012 से 2066 तक उक्त कृषि भूमि चली आ रही है जो राजस्व कर्मचारियों ने अब वर्तमन में गैर मुमकिन दर्ज कर दी जबकि राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम से दर्ज करन चाहिए थी। वादी के पिता ग्रामीण गरीब मजदूर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:09:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

दादा ग्रामीण, गरीब मजदूर, अशिक्षित काश्तकार रहे है, जिनको अपनी जमीन के रिकार्ड का ज्ञान नहीं था, तथा आज तक किसी तरह की बाधा इस जमीन के कब्जे ओर काश्त के एवज में वादी और उसके पूर्वजों को नहीं आयी, इस कारण से आज तक जमीन नाम करवाने की कार्यवाही नहीं की गई। अब वादी को इस जमीन का रिकार्ड अपने नाम नहीं होने के कारण वादी को वाद रिकार्ड दुरूस्ती घोषणार्थ का श्रीमानजी की सेवामें पेश करना आवश्यक हुआ। वादी के पास अपने कब्जे, काश्त के पक्ष में खसरा रिपोर्ट संवत 2049 से 2066 तक लगातार है, जिसकी लगान रसीद भी वादी के पास सुरक्षित है। दावा वादी के हक में डिक्री किया जावे तथा घोषणा यह की जावे कि वादी ग्राम टौंकछिलरी पटवार हल्का टौंकछिलरी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर पुराना 296/519 रकबा 1.00 हैक्टेयर, जिसके नया खसरा नम्बर 1049 रकबा 1.00 हैक्टेयर, स्थित है, का खातेदार, काबिज, काश्तकार है। राजस्व रिकार्ड में वादी के सम्पूर्ण हिस्से की खातेदारी की घोषणा तथा राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दर्ज करके राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने हेतु प्रतिवादी को आदेशित किया जावें।

प्रतिवादी भूमिधारक तहसीलदार की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम टोंकछिलरी के पुराना भूमि खसरा नम्बर 296/516 रकबा 13 बीघा 9 बिश्वा जमाबन्दी संवत 2018–2021 के खाता संख्या 3 के राजकीय दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी संवत 2047–2050 संवत 2051–54 व 2055–58 तथा 2059–62 खसरा 1049 रकबा 1.00 हैक्टेयर किस्म जमीन गैरमुमकिन राजकीय खाते में चक खेतड़ी के नाम दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। इसी प्रकार वर्तमान जमाबन्दी संवत 2063–2066 के अनुसार उक्त भूमि राजकीय खातेदारी में दर्ज रही है। शेष कथन वादी अस्वीकार है। नकल जमाबंदी व मिलान क्षेत्रफल संलग्न है। बिन्दु संख्या दो वादी अस्वीकार है क्योंकि वाद भूमि हमेशा से राजकीय खातेदारी में दर्ज रिकार्ड रही है, राजकीय भूमि पर वादी केवल अतिचारी है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत बेदखल किया जाता है। वाद का बिन्दु संख्या 3 पूर्ण रूप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar
Date: 2025.05.08 11:09:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

अस्वीकार है क्योंकि वादी द्वारा राजकीय खातेदारी की गैर मुमकिन किस्म की भूमि को वाद के जरिये हड़प करने तथा खुर्द बुर्द करने की मंशा से वाद वादी पेश किया गया है। राजकीय भूमियों की खातेदारी किसी न किसी प्रकार से राजकीय नियमों के तहत आवंटन–नियमन के जरिये निजी व्यक्ति को दी जा सकती है। इस वाद के जरिये वादी राजकीय भूमि पर खातेदारी पाने का हकदार/अधिकारी नहीं है। वाद वादी इसी स्तर पर काबिल खारिज है। वाद का बिन्दु संख्या 4 पूर्ण रूप से अस्वीकार है क्योंकि वादी द्वारा इस न्यायालय में सरकार के विरूद्ध वाद पेश करने हेतु निर्धारित रीति के तहत कानूनी नोटिस नहीं दिया गया है। वाद वादी राजकीय भूमि को नाजायज रूप से हड़प करने की मंशा से वाद पेश किया गया है, इस वाद को किसी भी रूप में आवश्यक नेचर का नहीं माना जा सकता है। वाद भूमि राजकीय की खातेदारी भूमि रही है। वादी केवल इस संबंध में राजकीय भूमि पर अतिचारी है। जिसको राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही कर बेदखल किये जाने के योग्य है। वाद वादी काबिल खारिज है। यह कि वादी को अन्य किसी प्रकार की सिद्धी नहीं मिल सकती है। वादी द्वारा राजकीय की खातेदारी भूमि को हड़प करने व खुर्द–बुर्द करने की मंशा से पेश किया गया है। वाद वादी सारहीन मनगढत तथा नियमों के विपरित होने से खारिज योग्य है।

वाद कथन व जवाब दावे के आधार पर निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई।

1. आया वाद में वादी विवादित भूमि वाके ग्राम टौंकछिलरी के भूमि खसरा नम्बर 296/519 रकबा 1.00 हैक्टेयर, जिसके नया खसरा नम्बर 1049 रकबा 1.00 हैक्टेयर स्थित है, का खातेदार, काबिज काश्तकार व खसरा रिपोर्ट संवत 2049 से 2066 तक व लगान रसीद के आधार पर संपूर्ण हिस्से की खातेदारी घोषणा व राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

भा.स.वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:09:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ

2. आया वाद में उल्लेखित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 296/516 रकबा 13 बीघा 9 बिश्वा जमाबन्दी संवत 2018–2021 के खाता संख्या 3 के राजकीय दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी संवत 2047–2050 संवत 2051–54 व 2055–58 तथा 2059–62 खसरा 1049 रकबा 1.00 हैक्टेयर किस्म जमीन गैरमुमकिन राजकीय खाते में चक खेतड़ी के नाम दर्ज रिकार्ड चली आ रही है तथा जमाबन्दी संवत 2063–2066 के अनुसार उक्त भूमि राजकीय खातेदार में दर्ज रही है। अतः वाद खारिज योग्य है।

भा.स. प्रतिवादी

3. आया वाद में विवादित भूमि पर वादी केवल अतिचारी है। अतिक्रमी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत बेदखल किया जाता है।

भा.स.प्रतिवादी

4. आया वाद में वादी इस वाद के जरिये भूमि पर खातेदारी पाने का हकदार/अधिकारी नहीं है। राजकीय भूमियों की खातेदारी किसी न किसी प्रकार से राजकीय नियमों के तहत आवंटन–नियमन के जरिये निजी व्यक्ति को दी जा सकती है। अतः वाद खाजिर फरमाया जावें।

5. दादरशी:–

भा.स.प्रतिवादी

वादी की ओर से वाद के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया एवं मिलान क्षेत्रफल जमाबंदी संवत 2012 से 2015, 2018 से 2021, 2022 से 2025, 2051, 2053, 2052, 2050, 1999, 2026 से 2029, 2063 से 2066, 2059 से 2062, 2055 से 2058, 2051 से 2054, 2047 से 2050, 2019 से 2021 एवं गिरदावरी संवत 2023 से 2026, 2015 से 2018, 2031 से 2034, 2059 से 2062, 2055 से 2058, लगान की रसीदे खसरा परिवर्तन प्रस्तुत किये। प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:09:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने वाद कथन को दोहराते हुए राजस्व रिकार्ड एवं मौखिक साक्ष्य का कथन कर वाद वादी स्वीकार करने का निवेदन किया। राजकीय अधिवक्ता ने जवाब दावे के कथनों को दोहराते हुए वाद खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के अनुसार तनकी वार विवेचन निम्न प्रकार है।

तनकी संख्या 1 :– आया वाद में वादी विवादित भूमि वाके ग्राम टौंकछिलरी के भूमि खसरा नम्बर 296/519 रकबा 1.00 हैक्टेयर, जिसके नया खसरा नम्बर 1049 रकबा 1.00 हैक्टेयर स्थित है, का खातेदार, काबिज काश्तकार व खसरा रिपोर्ट संवत 2049 से 2066 तक व लगान रसीद के आधार पर संपूर्ण हिस्से की खातेदारी घोषणा व राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

भा.स.वादी

प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर ग्राम टौंकछिलरी के गत खसरा नम्बर 296/519 हाल खसरा नम्बर 1049 की खातेदारी की उद्‌घोषणा चाही गई है। पत्रावली में प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत खसरा नम्बर 296/519 से हाल खसरा नम्बर 1049 बनना प्रकट है। पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2012 से 2015 में गत खसरा नम्बर 296/519 की खातेदारी मूंगा पुत्र चिमना जाति जाट साकिम देह खातेदार दर्ज है। 2018 से 2021 में इस खसरा नम्बर की खातेदारी चक खेतड़ी दर्ज है। यही अंकन 2022 से 2025, 2026 से 2029, 2059 से 2062, 2055 से 2058, 2051 से 2054, 2047 से 2050 में दर्ज है। पत्रावली में प्रस्तुत 12.12.2008 को [illegible] की तहसीलदार नवलगढ़ की चालान की प्रति [illegible] है। इस [illegible] भूमि पर वादी द्वारा काश्त किया जाना प्रकट होता है। खसरा परिवर्तन [illegible] संवत 2051 के अनुसार खसरा नम्बर 1049 पर वादी द्वारा [illegible] किया जाने का अंकन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:09:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

इसी प्रकार खसरा परिवर्तनशील 2056 के अनुसार वादी द्वारा खसरा नम्बर 1049 में बाजरा, ग्वार की काश्त किया जाना अंकित है। खसरा परिवर्तनशील संवत 2058 में वादी द्वारा खसरा नम्बर 1049 में बाजरा, ग्वार की एवं खसरा परिवर्तनशील 2050 में बाजरा, ग्वार की काश्त अंकित है। पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2012 से वादी विवादित भूमि का खातेदार दर्ज होना एवं खसरा परिवर्तनशील से विवादित भूमि पर वादी की काश्त होना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में वादी विवादित भूमि की खातेदारी की उद्घोषणा का अधिकारी है।

प्रस्तुत प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 25.11.2024 को तहसीलदार नवलगढ़ के आदेश की पालना में मौका देखा गया है। इस मौका रिपोर्ट में अंकन है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 1049 में आस–पास के मौजुद व्यक्तियों से पुछपाछ करने पर उन्होंने बताया की काफी सालों से मुंगाराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट शाकिन टौंकछिलरी मौके पर काश्त कर रहा है तथा मौके पर दो झुपा व मंदिर व कुंआ बनाकर आबाद है। इस मौका रिपोर्ट पर 11 ग्रामवासियों के हस्ताक्षर है। इस मौका रिपोर्ट से भी विवादित भूमि पर वादी का कदीम से कब्जा काश्त होना प्रमाणित होता है। अतः तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2:– आया वाद में उल्लेखित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 296/516 रकबा 13 बीघा 9 बिश्वा जमाबन्दी संवत 2018–2021 के खाता संख्या 3 के राजकीय दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी संवत 2047–2050 संवत 2051–54 व 2055–58 तथा 2059–62 खसरा 1049 रकबा 1.00 हैक्टेयर किस्म जमीन गैरमुमकिन राजकीय खाते में चक खेतड़ी के नाम दर्ज रिकार्ड चली आ रही है तथा जमाबन्दी संवत 2063–2066 के अनुसार उक्त भूमि राजकीय खातेदार में दर्ज रही है। अतः वा[illegible] है

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:09:39 IST
Reason: SelfAttested

[illegible].स. प्रतिवादी

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 राजस्थान में दिनांक 15.10.1955 से प्रभावी है। इसके अनुसार खातेदारी अधिकारों के लिए जमाबंदी संवत 2012 को आधार वर्ष माना गया है। प्रस्तुत प्रकरण में हाल खसरा नम्बर 1049 गत खसरा नम्बर 296/519 जमाबंदी संवत 2012 में वादी के नाम दर्ज है। इस जमाबंदी में भूमि की किस्म गैर मुमकिन अथवा राजकीय दर्ज नहीं है। इसके उपरांत के राजस्व रिकार्ड में बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के भूमि की खातेदारी व किस्म दर्ज की गई है। इसका कोई विधिक आधार पत्रावली पर नहीं है। भूमिधारक द्वारा इस परिवर्तन का सक्षम आदेश भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में आधार वर्ष के अंकन के आधार पर वादी विवादित भूमि की खातेदारी उद्घोषित करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी इस तनकी को साबित करने में सफल नहीं रहा है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 :– आया वाद में विवादित भूमि पर वादी केवल अतिचारी है। अतिक्रमी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत बेदखल किया जाता है।

भा.स.प्रतिवादी

पत्रावली में प्रस्तुत आधारवर्ष की जमाबंदी संवत 2012 के अनुसार वादी विवादित भूमि का खातेदार है। ऐसी स्थिति में वादी को विवादित भूमि पर अतिक्रमी नहीं माना जा सकता है। अतः इस तनकी का निर्णय भी प्रतिवादी के विरूद्ध तय किया जाता है।

तनकी संख्या 4 :– आया वाद में वादी इस वाद के जरिये भूमि पर खातेदारी पाने का हकदार/अधिकारी नहीं है। राजकीय भूमियों की खातेदारी किसी न किसी प्रकार से राजकीय नियमों के तहत आवंटन–नियमन के जरिये निजी व्यक्ति को दी जा सकती है। अतः वाद खारिज फरमाया जावें।

भा.स.प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:09:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

तनकी संख्या 1 में किये गये राजस्व रिकॉर्ड के विवेचन से वादी विवादित भूमि की खातेदारी की उद्घोषणा का अधिकारी माना जा चुका है। अतः यह तनकी भी प्रतिवादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी को ग्राम टौंकछिलरी पटवार हल्का टौंकछिलरी गत खसरा नम्बर 296/519 हाल खसरा नम्बर 1049 रकबा 1.00 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 04.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमारसैनी)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
नवलगढ़

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:09:39 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:– 72/2022 **(मूंगाराम बनाम तहसीलदार आदि)**

अंतिम पर्चा डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 04.12.2024 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम टौंकछिलरी पटवार हल्का टौंकछिलरी गत खसरा नम्बर 296/519 हाल खसरा नम्बर 1049 रकबा 1.00 है0 का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किय जाता है। तथा घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने हेतु तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 04.12.2024 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ

मोहर
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलेह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:09:39 IST
Reason: SelfAttested